



अंत्योदया-सरल



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता लाभार्थियों का अंतर जिला स्थान प्रवास परिवर्तन (योजना)

पात्रता:

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ते को एक जिले से दूसरे जिले में स्थान्तरित करवाने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र।
2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ते के लिये जारी की गई पेंशन आईडी संख्या।
3. लाभार्थी का पता जहा से सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता स्थान्तरण किया जाना है।
4. लाभार्थी का पता जहा पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता स्थान्तरण किया जाना है।
5. लाभार्थी के पुराने बैंक खाते का विवरण।
6. लाभार्थी के वर्तमान बैंक खाते का विवरण।

आवश्यक दस्तावेज:

- आधार कार्ड
- मोबाईल नंबर
- स्थानीय निवास का प्रमाण
- आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटी कॉपी सहित

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 30/-	रु0 30/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 30 दिन।

हेल्पलाइन 0172-3968400

ई-मेल: saral.haryana.gov.in